न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 289 / 2018

GCMS No. : 2018/00431

प्रार्थी:–

दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. कालूराम देवासी पुत्र सांवताराम (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स भटियाणी सा स्वीट्स रेल्वे फाटक के पास केनपुरा रोड पाली
2. कुशाल सिंह राजपुरोहित मैसर्स– पुनम ट्रेडिग धर्मवीर मैदान के पास वार्ड नम्बर 03 प्रताप बाजार रानी जिला पाली
3. भरत कुमार सुखीजा निवासी 11 / 622 एमपी कॉलोनी बीकानेर मैसर्स बीकाजी फुडस इन्टरनेशनल लि. एफ / 196–199 बीच्छवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर 334006 राजस्थान।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी उपस्थित
2. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित उपस्थित।
3. अप्रार्थी सख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अरिहन्त चौपड़ा अनुपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री भुवनेश काबरा अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 19/10/2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 14.10.2017 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान मैसर्स भटियाणी सा स्वीट्स रेलवे फाटक के पास केनपुरा रोड रानी पर गया। फर्म पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में 20 पैकेट सोनपपड़ी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) आमजन को बिक्री हेतु रखी हुई थी, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान व विक्रेता के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया व प्रपत्र की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की गई। अप्रार्थी संख्या 01 को बता दिया की सोनपपड़ी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 व गवाहान की उपस्थित में सोनपपड़ी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) के चार पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर उनकी कीमत रूपये 480 / – अप्रार्थी संख्या 01 को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से क्रय की गई सोनपपड़ी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

की चारो पैकेट पर विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली द्वारा जारी कोड एवं सिरियल नम्बर आर–708 लिखा एवं उस पर नमुना का विवरण अंकित किया जिस पर मेरे गवाहान एवं अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय के हस्ताक्षर है। प्रत्येक नमुना पैकेट को नियमानुसार सीलबंद व सीलमुहर किया एवं अपने जाब्ते में ली। अप्रार्थी संख्या 01 से सोनपपड़ी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) के खरीद बिल के बारे में पुछने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने मैसर्स पुनम ट्रेडिग रानी के बिल क्रमांक 0250 की प्रति पेश की। प्रार्थी ने गवाहान एंव अप्रार्थी संख्या 01 के सामने मौके पर ही फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की एवं गवाहान को पढ़कर सुनाया तथा हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे उन्होने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुंच कर नियमानुसार फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार कर कार्यालय के सहायक कर्मचारी श्री मोहम्मद मोहसिन के साथ अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया सोनपपड़ी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) का नमुना आर–708 खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में दिनांक 16.10.2017 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया सोनपपड़ी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) को Misbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food safety and Standards Act, 2006 पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Mis Branded सोनपपड़ी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने वक्त बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध पेश प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज योग्य बताया क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान से लिया गया नमुना सोनपपड़ी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) का निर्माण अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म/दुकान में नही होता है, उनकी फर्म द्वारा उक्त सोनपपड़ी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) जरिये बिल मैसर्स बीकाजी फुडस इन्टरनेशनल लि. एफ/196–199 बीच्छवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर (राज.) से खरीद किया गया है जिसकी प्रति पत्रावली के सलंग्न है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 से सीलबंद माल खरीदा जाता है तथा उसी रूप में आमजन एवं खुदरा व्यापारियों को बिक्री किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नही किया जाता है। अतः अप्रार्थी संख्या 02 को दोषमुक्त कर कार्यवाही ड्रोप की जावें।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने अपने लिखित जवाब में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई समस्त कार्यवाही को मनगंढत व निराधार बताया है। अप्रार्थी संख्या 01 न तो मिसब्राण्ड उत्पाद का उत्पादन करता है ओर न ही ऐसे उत्पाद का विक्रय करता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को खिलाफ चल रही कार्यवाही ड्रोप करावें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.10.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से सोनपपड़ी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) को वास्ते नमूना जांच क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–708

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अंकित कर नमूने को सीलबंद किया गया तथा एक्ट में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./1071/एक्ट/2017/1071 दिनांक 16.11.2017 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–708 को Mis Branded माना है। अप्रार्थी संख्या 1 ने सोन पपडी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) को अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म पुनम ट्रेडिग रानी से जरिये बिल क्रमांक 0250 से खरीद किया था एवं अप्रार्थी संख्या 02 ने उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) अप्रार्थी संख्या 03 से जरिये बिल दिनांक 15.09.2017 के द्वारा खरीद किया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से सोनपपड़ी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) का नमुना लेते समय की गई कार्यवाही नियमानुसार की गई है, साथ ही पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजो से स्पष्ट होता है एंव खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि सोनपपड़ी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) में प्रयोग किये गये उत्पाद का विवरण है लेकिन वह कितनी कितनी मात्रा में उपयोग किया गया है उसका पैकेजिंग पर कही नही लिखा गया है जो Contravention of Regulation No 2.2.2(2)(f) of food safety and Standards(packaging and Labelling) Regulations, 2011 का उल्लघंन है तथा Misbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food safety and Standards Act 2006 की श्रेणी में आता है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Mis Branded सोन पपडी (बीकाजी सदाबहार ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर रूपये 25000/– व अप्रार्थी संख्या 02 पर रूपये 25000/– तथा अप्रार्थी संख्या 03 पर रूपये 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये अर्थात कुल रूपये 1,50,000/– अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 19/10/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली